न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 02/2019

अपीलांट्स–
1. रणछाराम पुत्र समेलाराम
2. गणेशाराम पत्र समेलाराम

जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना
तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. हड़मानराम पुत्र प्रतापाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.01.2019 जो तहसीलदार धोरीमन्ना मुकदमा सं. 2019/04 द्वारा पारित किया गया एवं इसकी पालना में दिनांक 09.01.2019 को पैमाईश कार्यवाही रिपोर्ट।

उपस्थिति :–
1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनिल के. मेराजा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30/12/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रकरण सं. 2019/04 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2019 एवं उसकी पालना में पैमाईश कार्यवाही रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी श्री हनुमानराम पुत्र श्री प्रतापाराम कौम मेघवाल निवासी धोरीमन्ना द्वारा मौजा धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 366/2 रकबा 02–04 बीघा व खसरा नम्बर 426/09 रकबा 00–12 बीघा में कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत करने पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपने आदेश क्रमांक : राजस्व/2019/04 दिनांक 03.01.2019 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक धोरीमन्ना, भू–अभिलेख निरीक्षक बोर चारणान, पटवारी उड़ासर व पटवारी राणासर कल्ला की संयुक्त राजस्व टीम गठित कर निर्देशित किया गया कि मौके पर मय पुलिस इमदाद सहित विवादित स्थल का नियमानुसार माप कर शिकायत का निस्तारण करें। इस

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश की पालना में राजस्व टीम द्वारा दिनांक 09.01.2019 को विवादित भूमि की मौके पर पैमाईश कर मौका फर्द तैयार की गई। अपीलांट द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश दिनांक 03.01.2019 व उसकी पालना में की गई पैमाईश दिनांक 09.01.2019 की मौका फर्द रिपोर्ट के विरूद्ध यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 21.01.2019 को प्रस्तुत की गई हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष दिनांक 03.01.2019 को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 366/2 व 426/9 का सीमाज्ञान करवाया जाकर अपीलांट रणछाराम का कब्जा पाया जावे तो हटाने की कार्यवाही करावें। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा उसी दिनांक राजस्व विभाग की टीम गठित कर सीमाज्ञान का आदेश पारित कर दिया जो कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई हैं। रेस्पोडेंट द्वारा जिस भूमि का सीमाज्ञान करने का प्रार्थना पत्र दिया गया हैं वह राजस्व की भूमि नहीं होकर आबादी की हैं, जिसकी पैमाईश व सीमाज्ञान का आदेश देने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नही थे। रेस्पोडेंट द्वारा सीमाज्ञान हेतु न तो कोई नियमानुसार प्रार्थना पत्र दिया और न ही शुल्क अदा किया गया। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा टीम का गठन कर पैमाईश का आदेश दिया गया है जो नियम विरूद्ध हैं। रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र पर सीमाज्ञान करने से पूर्व पडौसी खातेदारान को नोटिस दिया जाकर सुनवाई किये बिना उसकी गैर मौजूदगी मे पैमाईश नहीं की जा सकती हैं तथा ऐसी पैमाईश रिपोर्ट महत्वहीन हैं। रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा खसरा नम्बर 426 की भूमि का रूपान्तरण करवाने के बाद भूखण्डों का निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक बेचान कर दिया है तथा अब वह पडौसी खातेदार की खसरा नम्बर 366/2 की भूमि हड़पने की नीयत से बार–बार पैमाईश करवा रहा हैं। इन सब तथ्यों की विधिवत जांच किये बिना की गई पैमाईश हेतु दिया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2019 निरस्तनीय हैं। इस आदेश की पालना में की गई पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 भी इस आधार पर ही निरस्तनीय हैं कि टीम द्वारा जिस मुस्तकील बिन्दु ए को मानकर पैमाईश की गई हैं वह खेती की माठ है, जिसे किसी भी दशा में मुस्तकील बिन्दु नहीं माना जा सकता हैं। रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा अपने हक–स्वामित्व से अधिक क्षेत्रफल का भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को हस्तान्तरण कर दिया गया हैं तथा अब उन्हे भौतिक कब्जा दिलाये जाने

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

के लिये मौके पर कोई भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने पर पडौसी खातेदार की खसरा नम्बर 426/9 की भूमि में नाजायज प्रवेश करने की गरज से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया हैं। अपीलांट के खसरा नम्बर 426/9 की यथास्थिति बनाये रखने हेतु माननीय सिविल न्यायाधीश बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.12.2016 को आदेश पारित किया हैं जिसके प्रभाव में रहते हुए अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता हैं। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं लिहाजा अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं इसकी पालना में की गई पैमाईश की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे निवेदन किया कि मौजा धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 366/2 रकबा 02–04 बीघा एवं खसरा नम्बर 426/9 रकबा 00–12 बीघा में कुछ लोग कब्जे बाबत झगड़े पर उतारू होने से कानून–व्यवस्था बिगड़ने की शिकायत एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रस्तुत की गई थी। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मौके पर हक–स्वामित्व के निर्धारण एवं कब्जे की जांच हेतु राजस्व विभाग के कार्मिकों की संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें दो भू–अभिलेख निरीक्षक एवं दो अन्य हल्का के पटवारीयान को सम्मिलित कर निर्देशित किया गया कि उक्त विवादित स्थल पर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना के मध्यनजर मौके पर मय पुलिस इमदाद सहित नियमानुसार नाप कर शिकायत का निस्तारण करें। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्रशासकीय तौर पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्वंय के विवेकीय निर्णय द्वारा पारित किया गया हैं। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी सीमाज्ञान करने का निवेदन नहीं किया था बल्कि नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायत की गई हैं। अपीलाधीन आदेश के द्वारा विवाद का निपटारा करने हेतु दोनो ही खसरों की भूमि की पैमाईश करने के निर्देश दिये गये हैं ऐसे में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

6. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 366/2 एवं 426/9 में कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने से मौके पर झगड़ा होने एवं शांति–व्यवस्था भंग होने की संभावना बाबत शिकायत प्राप्त होने पर विवाद के निपटारा हेतु राजस्व विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर विवादित भूमि की पैमाईश करने का

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश जारी किया तथा इसकी पालना में टीम द्वारा दिनांक 09.01.2019 को पैमाईश कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा इस पैमाईश के आदेश एवं आदेश की पालना में की गई पैमाईश रिपोर्ट के विरूद्ध यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा अपने स्वामित्व से अधिक भूमि का हस्तान्तरण कर लेने मौके पर भूमि उपलब्ध नहीं होने से पडौसी खातेदार की भूमि को हड़पने की नियत से सीमाज्ञान करवाया गया हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या विवाद भूमि की सीमाओं को लेकर हैं तथा मौके पर की गई पैमाईश के फलस्वरूप यदि अपीलांट सीमा निर्धारण से संतुष्ट नही हैं तो उन्हे नियमानुसार धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा विवादित भूमि के मौके पर कब्जे को लेकर झगड़ा होने तथा शांति–व्यवस्था भंग होने की संभावना के मध्यनजर जो अपीलाधीन आदेश दिया गया हैं उसके किसी प्रकार की अवैधानिकता की जाना प्रकट नहीं होता हैं। यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश से पूर्णतया सहमत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझता हैं। अपीलांट यदि अपीलाधीन पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 09.01.2019 के द्वारा किये गये सीमा निर्धारण से असंतुष्ट हैं तो वह नियमानुसार सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Date: 2020.02.01 14:19:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: